

Case No. 50 of 2017-

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

(Order) Proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

Date of _____

order of

Proceedings

आज आरक्षी केन्द्र इगबकारी विभाग के उपनिरीक्षक / सहायक ब्रजेश कुमार

उपनिरीक्षक / प्रधान कर्मचारी द्वारा प्रभारी की ओर से अपराध कर्मचारी अंतर्गत धारा 34(1) A अधिनियम के अधीन दण्डनीय अभियोग

भा0द0सं0 / अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० श्री अशोक उप०।

अभियुक्ता / अभियुक्तराणा

डोम-सि. गलबग वरुण्ड डी-61

निवासी / निवासीगण
थाना मालवपुरा जिला मिण्ड राज्य महाराष्ट्र
उपस्थित । अभियुक्त / अभियुक्तगण की से अधिकता
श्री..... द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत
किया ।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा०दं०स० / ३५॥ A अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे है। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190—(1) द०प्र०स० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे।

50117

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0प्र0स0 की धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।

चूँकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से 7000 / -- (सात हजार रुपये) की प्रतिभूति व इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त किया जाये।

चूंकि मामला सक्षिप्त विचारणीय है। अतः साक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तागण के विरुद्ध

धारा 341/A भा0द0स0/

अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 10 रुपये राजसात किये जाये। संपत्ति 11 पान-देशी-ट्वेन मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 5000/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क्र0 6898 रसीद क्र0 59 दी गई।

अभियुक्त/अभियुक्तगण को राजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

गो लूय

A.K. Gupta
Judicial Magistrate First Class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

A.K. Gupta
Judicial Magistrate First Class